**800** करोड़ रुपये का नियम विरुद्ध निवेश करने के मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल की जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के तीन तत्कालीन अधिकारियों रमाशंकर विश्वकर्मा, अनिल भार्गव और सुभाष शर्मा को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने गिरफ्तार किया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 19 दिसंबर 2019

# शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत

## मौसम का प्रकोप ▶ कोहरा बरपा रहा कहर, तापमान में गिरावट जारी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दो दिनों में रिकार्ड तोड़ पड़ रही सर्दी के बीच बुधवार को शीतलहर ने समूचे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। बर्फीली हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। अलबत्ता, कुछ राज्यों में हल्की धूप जरूरत निकली, मगर हवाओं के चलते लोगों को राहत नहीं मिली। कोहरा भी कहर बरपा रहा है। तापमान में गिरावट बदस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश में तो सर्दी ने चार लोगों की जान ले ली है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने दो दिन स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते जनजीवन खासा प्रभावित है।

पहाड़ों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों तक पहुंची उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड और बिहार सहित उत्तर भारत के अन्य राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। शीतलहर चलने से गलन बढ़ गई है। कोहरे ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इससे ठिठुरन और बढ़ गई है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के मौसम विभाग के अनुसार 1971 से अब तक 18 दिसंबर को प्रदेश में कभी इतनी ठंड नहीं पड़ी। यहां अधिकतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मध्य प्रदेश के दतिया में न्यूनतम तापमान तो चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी के आलम का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रदेश में 25 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा।

कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी है। पूरी वादी में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदू शून्य से नीचे बना हुआ है। सर्दी का आलम यह है कि तालाब और झीलें ही नहीं, घरों में पीने का पानी भी जमने लगा है। घर पर एक बालटी में रखा पानी बर्फ में तब्दील हो जाने के बाद उसे दिखाती महिला। कामरान रशीद बट

## सिर्फ घुसपैठिए करें चिंता, काई और नहीं : जावडेकर

नई दिल्ली, प्रेट्र : सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर छात्रों के विरोध के पीछे तमाम तरह के फैलाए गए भ्रम को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इससे छात्रों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला नहीं, इसलिए इससे घुसपैठियों को अवश्य ही चिंता करने की जरूरत है।

प्रकाश जावडेकर फाइल

जावडेकर ने सतत विकास पर आयोजित सम्मेलन के बाद सीएए पर छात्र आंदोलन से जुड़े के सवालों के जवाब में संवाददाताओं से कहा, 'देश में एक संवेदनशील सरकार है जो सभी की बात सुनती है। छात्रों या किसी अन्य को शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए।' उन्होंने कहा, 'सभी पक्षों से शांति बनाने की सभी लोगों ने अपील की है और हम भी यह अपील करते हैं कि शांति से ही हर समस्या का हल होता है।'

जावडेकर ने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर लोगों की भिन्न राय हो सकती है। इस कानून पर भी मत-मतांतर हो सकते हैं, जिन्हें शांतिपूर्ण तरीके से ही सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अशांति फैलाना ना तो किसी सरकार के लिए स्वीकार्य है ना ही इससे समस्या का कोई हल निकल सकता है।

# नागरिकता कानून से भारतीय मुस्लिमों का लेना-देना नहीं : अहमद बुखारी

जेएनएन, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे विरोध को लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि इस कानून से भारतीय मुस्लिमों का कोई संबंध नहीं है। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों पर ही इस कानून का असर पड़ेगा।

राजधानी समेत देशभर में हो रहे प्रदर्शनों पर इमाम बुखारी ने कहा कि प्रदर्शन करना लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है जिससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हालांकि इसमें संयम बरतना चाहिए। लोग भावनाओं पर भी नियंत्रण रखें। यह समझें कि अभी एनआरसी कानून नहीं बना है।

**बंगाल में मुस्लिमों को जागरूक करेंगे संघ और भाजपा:** इस कानून को लेकर सर्वाधिक विरोध-प्रदर्शन कर रहे बंगाल के मुस्लिमों को समझाने के लिए भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभियान चलाएंगे।

संघ के एक पदाधिकारी ने कहा कि मुस्लिम समाज गलत जानकारी का शिकार हो गया है, जिसे जल्द ही समझाने की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक संघ ने दक्षिण बंगाल और कोलकाता में अभियान शुरू कर दिया है। वहीं, भाजपा माह के आखिर में अपने कार्यकर्ताओं को सीएए के बारे में बताने के लिए दो दिन की वर्कशॉप करेगी।

### नवीन ने कहा-मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं

उधर, भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से भारतीय नागरिकों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। यह कानून केवल विदेशी नागरिकों के लिए है। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण (एनआरसी) का समर्थन नहीं करते हैं।

### एसजीपीसी ने कहा, मुस्लिमों को भी शामिल किया जाए

पंजाब के रूपनगर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने कहा कि एसजीपीसी और अकाली दल ने इस कानून के लिए विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर मांग की थी। इस कानून से आपसी भाईचारक सांझ भी बढ़ेगी, लेकिन इस कानून में मुस्लिमों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

## सौरव गांगुली की बेटी साना ने जताई प्रतिक्रिया

**जासं, कोलकाता :** पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली की बेटी साना ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रतिक्रिया जाहिर की है। 18 साल की साना ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर विख्यात लेखक खुशवंत सिंह की 2003 में लिखित पुस्तक 'द एंड ऑफ इंडिया' की एक उक्ति पोस्ट की है।

इस पुस्तक में कहा गया है कि प्रत्येक फांसीवादी शासन व्यवस्था खुद को बरकरार रखने के लिए कुछ संप्रदायों व समूहों का इस्तेमाल करती है और उनके जरिए अपनी विचारधारा को बचाए रखती है। वे शुरू में एक या दो समूहों के माध्यम से यह काम शुरू करती है, जो वहीं खत्म नहीं हो जाता। सिर्फ घृणा के बूते आंदोलन कर दूसरे को डरा-धमकाकर खुद को बरकरार रखते हैं। आज जो मुसलमान और ईसाई नहीं होने के कारण खुद को सुरक्षित मान रहे हैं, वे झूठमूठ स्वर्ग में वास कर रहे हैं।'

इस बीच, सौरभ गांगुली ने कहा है कि यह पोस्ट सही नहीं है। साना को इस मामले से अलग रखा जाना चाहिए। वह राजनीति समझने के लिए अभी काफी छोटी है।

# शशि थरूर समेत 23 लेखकों को मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राजनेता और लेखक शशि थरूर और नाटककार नंद किशोर आचार्य समेत 23 लेखकों को इस वर्ष के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगामी 24 फरवरी को दिल्ली में इन सभी को ताम्र पत्र और एक लाख रुपये के नकद पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाएगा। बुधवार को साहित्य अकादमी ने इन नामों की घोषणा की।

कांग्रेस नेता शशि थरूर को उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक 'एन इरा ऑफ डार्कनेस' के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है, जबकि नंद किशोर आचार्य को उनकी हिंदी कविता 'छीलते हुए अपने को' के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने बताया कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कंबर की अध्यक्षता में इन पुरस्कारों का प्रस्ताव 23 भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्णायक मंडल और साहित्य अकादमी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा रखा गया।

इनमें सात कवि फुकन चंद्र बसुमतारी (बोडो), निलबा खांडेकर (कोंकणी), मनीष अरविंद (मैथिली), वी मधुसूदन नायर (मलयालम), अनुराधा पाटिल (मराठी), पेन्ना मधुसूदन (संस्कृत) व उपन्यास लेखन के लिए जयश्री गोस्वामी महंत (असमिया), एल बिरमंगल सिंह (मणिपुरी), चो. धर्मन (तमिल) और बंदि नारायण स्वामी (तेलुगु) को यह पुरस्कार मिल रहा है।

छह लेखकों को लघुकथा श्रेणी के लिए चुना गया है जिनमें अब्दुल अहद हजिनी (कश्मीरी), तरुण कांति मिश्रा (ओडिया), कृपाल कजाक (पंजाबी), रामस्वरूप किसान (राजस्थानी), काली चरण हेंब्रम (संताली), और ईश्वर मुरजनी (सिंधी) शामिल हैं। वहीं, विजया (कन्नड़) और शफी किदवई (उर्दू) को उनके रचनात्मक गैर-कथा साहित्य, आत्मकथा और जीवनी पर लेखन के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। निबंध लेखन के लिए चिन्मय गुहा (बंगाली), ओम शर्मा जंडरी (डोगरी), और रतिलाल बोरिसगर (गुजराती) का नाम प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।

## ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में 136 दिन बाद पहली बार नमाज...

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 136 दिन बाद बाद पहली बार श्रीनगर स्थित ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में बुधवार को सामूहिक तौर पर नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान या बाद में कोई जिहादी या कश्मीर की आजादी का नारा नहीं गूंजा। जुलूस भी नहीं निकला। गत पांच अगस्त से पहले जामिया में राष्ट्रविरोधी जुलूस व पत्थरबाजी की घटनाएं सामान्य मानी जाती रही हैं। इस मस्जिद की कश्मीर की सियासत में शुरू से ही बहुत अहमियत रही है। सुल्तान सिकंदर द्वारा इसका निर्माण 1394 में शुरू कराया गया और यह 1402 में बनकर तैयार हुई थी। प्रेट्र

# गलत ट्रेन में चढ़ी महिला से पैर पकड़वाकर माफी मंगवाई

- कानपुर-अमृतसर सुपरफास्ट ट्रेन में महिला टीटीई व जीआरपी की दबंगई, रेल मंत्री से शिकायत
- परिवार भी था साथ, 1980 रुपये जुर्माना भी वसूला गया

जागरण संवाददाता, कानपुर

फगवाड़ा स्टेशन से गलत ट्रेन में परिवार सहित चढ़ी महिला के साथ हद दर्जे की बदसुलूकी की गई। ट्रेन में मौजूद टीटीई और जीआरपी ने महिला और उसके परिवार के साथ अभद्रता की और दबंगई करते हुए 1980 रुपये जुर्माना वसूला। रेल स्टाफ का इतने से भी मन नहीं भरा तो अमृतसर स्टेशन पर जेल भेजने की धमकी देकर पैर पकड़वाकर माफी मंगवाई। महिला ने ट्विटर पर रेल मंत्री से इसकी शिकायत की है। मामला कानपुर-अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का है। सोमवार रात यहां से अमृतसर के लिए रवाना होने वाली इस ट्रेन में कानपुर का ही स्टाफ था।

पीड़ित महिला यात्री वीना रानी ने फोन पर हुई बातचीत में बताया कि वह हिसार की रहने वाली है। अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल जाने के लिए पति प्रदीप, दो स्वजनों और बच्चों समेत दिल्ली से चलने वाली अमृतसर इंटरसिटी में आरक्षण कराया था। ट्रेन फगवाड़ा से मंगलवार सुबह 9:32 बजे चली थी। इसी समय कानपुर-अमृतसर एक्सप्रेस आ गई और गलती से परिवार समेत ट्रेन में चढ़ गई। वीना का आरोप है कि जब महिला टीटीई टिकट चेक करने आई तो गलती का एहसास हुआ। टिकट दिखाकर अगले स्टेशन पर उतारने का अनुरोध किया, लेकिन वह नहीं मानी और एक हजार रुपये मांगे। मना करने पर अभद्रता की और जीआरपी को बुला लिया। जीआरपी ने स्वजनों से धक्का-मुक्की की और जेल भेजने की धमकी दे डाली। दबाव डालकर 1980 रुपये का जुर्माना लिया। इसके बावजूद अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहे। अमृतसर स्टेशन पहुंचने के बाद एक रेस्टोरेंट में ले गए और जेल भेजने की धमकी देकर पैर पकड़वाकर सभी से माफी मंगवाई। स्टेशन डायरेक्टर हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि अभी तक मामले की जानकारी नहीं है। शिकायत मिलते ही जांच की जाएगी।

# दुष्कर्म के बाद बच्ची के हत्यारे को फांसी की सजा

जागरण संवाददाता, रामपुर

उप्र के रामपुर में छह साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में छह माह में फैसला सुना दिया गया। अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। दुष्कर्म और हत्या का यह मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र का है। यहां की एक कालोनी में रहने वाली छह साल की बच्ची सात मई 2019 को घर के बाहर खेलते समय गायब हो गई थी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की। गुमशुदगी भी दर्ज कराई लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। डेढ़ माह बाद उसका शव कालोनी के पीछे एक अर्धनिर्मित मकान में मिला। मुहल्ले का ही एक युवक बच्ची को बहाने से वहां ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। बच्ची की पहचान छुपाने के लिए शव पर तेजाब डालकर जला दिया था।

परिजनों ने बच्ची के कपड़ों और चप्पलों से पहचान की थी। पुलिस ने बच्ची के मोहल्ले में ही रहने वाले नाजिल के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर ही उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 23 जून को पुलिस ने उसे कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया था। पुलिस ने दो अगस्त को उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। पॉक्सो एक्ट के मुकदमों की सुनवाई के लिए बनी विशेष अदालत ने पांच सितंबर को आरोप तय कर दिए थे। इसके बाद अदालत ने त्वरित सुनवाई की। मुकदमे में नौ गवाह पेश किए गए, जिसमें आठ अभियोजन की ओर से पेश किए गए थे। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश विनोद कुमार 13 दिसंबर को नाजिल को दोषी सिद्ध कर दिया। बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया।

## जमानत पर छूटे दुष्कर्म के आरोपित ने फिर की हैवानियत

जासं, बरेली

दुष्कर्म के मामले में जमानत पर छूटे आरोपित ने जेल से निकलने के आठ दिन के अंदर एक और वारदात को अंजाम दे दिया। सो रही किशोरी के घर में घुसा और तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। सात साल पहले वह किशोरी की बड़ी बहन से भी ऐसी हैवानियत कर चुका था। पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे। आरोपित सोनू इससे पहले भी दुस्साहस करता रहा। सात साल पहले उसने किशोरी की बड़ी बहन से दुष्कर्म किया था। उस वक्त घटना से आहत युवती के माता, पिता कई दिन घर से बाहर नहीं निकले थे। कुछ दिन बाद दोनों की जहर खाने से मौत हो गई थी। तब कहा गया था कि बेटी से दुष्कर्म के बाद वे अवसाद में थे। गौरतलब है कि आरोपित बड़ी बहन से किए गए दुष्कर्म के मामले में ही जमानत पर छूटा है।

पीड़ित किशोरी शिकायत करने पहुंची तो थाना पुलिस दिनभर टकराती रही। देर शाम मुकदमा दर्ज किया गया। उप्र के बरेली स्थित बिशारतगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती अपने दो भाइयों के साथ रहती है। मंगलवार को बड़ा भाई गांव से बाहर गया था। छोटा भाई घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में सो रहा था। आरोप है कि उसी समय सोनू उर्फ सुदेश दीवार फांदकर घर के अंदर घुस आया और तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। बुधवार सुबह होते ही भाई व अन्य परिजन बिशारतगंज थाने पहुंचे और तहरीर दी। थाना पुलिस ने जांच की बात कहकर पीड़ित पक्ष को वहां से टरका दिया। थानाध्यक्ष बिसारतगंज राजेश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत केसा दर्ज कर लिया है।

> पीड़िता के भाई की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित की तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही हैं।
>
> -शैलेश पांडेय, एसएसपी, बरेली।

## भोपाल में टीवी अभिनेत्री पर की अश्लील टिप्पणी, विरोध करने पर पीटा

**नईदुनिया, भोपाल:** भोपाल के बस स्टैंड के पास खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकली एक टीवी अभिनेत्री पर वहां खड़े मनचलों ने अश्लील टिप्पणी कर दी। युवती और उसके साथियों ने विरोध किया तो आरोपितों ने अभिनेत्री के साथ मारपीट कर दी। घटना सोमवार रात एक बजे नादरा बस स्टैंड पर हुई। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

हनुमानगंज थाना पुलिस के मुताबिक मूलतः इंदौर की रहने वाली 22 वर्षीय युवती मुंबई में विभिन्न टीवी सीरियल में काम करती है। उसके साथ काम कर चुकी एक सहेली गांधी नगर इलाके में रहती है। अभिनेत्री दो दिन पहले सहेली की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए मुंबई से भोपाल आई थी। सोमवार रात को अभिनेत्री और उसकी सहेली अपने एक दोस्त के साथ नादरा बस स्टैंड स्थित होटल पर गई थी। रात करीब एक बजे खाना खाने के बाद वे लोग बस स्टैंड पर पहुंचे, तभी यह घटना हुई। एएसआइ घूमेंद्र सिंह ने बताया कि अभिनेत्री की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट करने का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।

# गृह मंत्रालय को भेजा पीएसए के तहत बंद 40 लोगों की रिहाई का प्रस्ताव

- जम्मू कश्मीर प्रशासन की सूची में कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान व सरपंच भी शामिल
- पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू किए जाने के बाद बनाया गया था बंदी

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत बंदी बनाकर देश की विभिन्न जेलों में भेजे गए 40 लोगों की रिहाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। इनमें कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट नजीर अहमद रोंगा, जमात-ए-इस्लामी के प्रवक्ता एडवोकेट जाहिद अली के अलावा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के दो नेता शौकत बख्शी और मुश्ताक अजमल शाह भी शामिल बताए जा रहे हैं। सूची में उत्तरी कश्मीर से संबंध रखने वाला एक सरपंच भी शामिल है।

पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू किए जाने के मद्देनजर प्रशासन ने एहतियातन अलगाववादी और मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों के भी कई नेताओं को हिरासत में लिया था। इनमें से 450 को पीएसए के तहत बंदी बनाया गया है और अधिकांश को उत्तर प्रदेश व हरियाणा की जेलों में रखा गया है।

**प्रस्ताव में इन लोगों के नाम शामिल :** संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों की रिहाई के लिए आग्रह किया गया है, उनमें से अधिकांश को पांच अगस्त के आसपास ही हिरासत में लिया गया है। इनमें नजीर अहमद रोंगा, शौकत बख्शी और मुश्ताक अजमल शाह, उत्तरी कश्मीर में जिला बारामुला के रहने वाले सरपंच जहूर अहमद मीर के अलावा फिरदौस अहमद बाबा, बिलाल अख्तर, खालिद जरगर, अब्दुल रशीद शिगन, आरिफ शेख, शकील बट, लतीफ मीर और हिलाल जान के नाम प्रमुख हैं।

### राज्य की परिस्थितियों के आधार पर होगा रिहाई का फैसला

अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इन सभी लोगों के मामलों को जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों के आधार पर देखेगा और उसके आधार पर ही रिहाई का फैसला लेगा। अलबत्ता, जम्मू कश्मीर राज्य प्रशासन के गृह विभाग ने कथित तौर पर इस सूची में उन्हीं लोगों के नाम शामिल किए हैं, जिनके मामलों पर पीएसए संबंधी मामलों के लिए गठित समीक्षा समिति ने किसी तरह की नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दी है। इसके अलावा सूची तैयार करते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय जब भी इन लोगों की रिहाई का फैसला लेगा, इन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है।

### कुछ लोगों को पहले भी किया जा चुका है रिहा

कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व चेयरमैन मुबीन शाह को पीएसए से मुक्त किया है। शाह का मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंचा था। इसके अलावा राज्य प्रशासन ने गत सप्ताह कुलगाम के रहने वाले परवेज अहमद पाला को भी अदालत के निर्देशानुसार पीएसए से मुक्त किया था। पाला कैंसर पीड़ित हैं और उसे सात अगस्त को जिलाधिकारी कुलगाम के निर्देशानुसार पीएसए के तहत बंदी बनाया गया था।

**गलत धंधा**

मुजफ्फरपुर में बच्चों के खरीदने बेचने का धंधा करने वाला अस्पताल संचालक पकड़ा गया, महिलाओं को गर्भ न गिराने की सलाह देकर अस्पताल में करता था भर्ती, नौ माह पूरा होने पर नॉर्मल या ऑपरेशन से कराता था प्रसव

# नर्सिंग होम में चल रहा था अनचाहे गर्भ से बच्चों को 'चुराने' का रैकेट

जागरण टीम, भागलपुर

बच्चों की चोरी कर उन्हें मुंहमांगी कीमत पर बेचने वाले झोलाछाप डॉक्टर विजय चौधरी के नर्सिंग होम में अनचाहे गर्भ से बच्चे को 'चुराने' का धंधा भी चल रहा था। ग्रामीण परिवेश की महिलाएं गर्भपात कराने के लिए मुजफ्फरपुर स्थित उसके मां भगवती सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में आती थीं। अविवाहित युवतियां और गरीब महिलाएं इस गिरोह का शिकार बनती थीं। कुछ युवतियों को पुलिस, समाज का भय दिखाया जाता था, तो गरीब महिलाओं को धन का लोभ दिया जाता था। फिर विजय उन्हें अस्पताल में भर्ती करता था, या अपने नर्सिंग स्कूल के हॉस्टल में रख लेता था। नौ माह पूरा होने पर नॉर्मल या ऑपरेशन से प्रसव कराता था। इसके बाद बच्चे को रख लेता था। बाद में उसे बेच देता था। पुलिस ने बताया कि वह रेलवे स्टेशन या अन्य स्थानों से गिरोह में शामिल महिलाओं से बच्चों की चोरी भी कराता था। अस्पताल में ही चोरी के बच्चे की बोली लगती थी। इस धंधे में कई बड़े लोग भी शामिल हैं।

**पकड़ी गईं बच्चा चोर महिलाओं ने किया पर्दाफाश:** बच्चा चोर गिरोह के सरगना विजय चौधरी को बुधवार सुबह आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर में मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर बच्चा चोरी करते मुंगेर तारापुर की कल्पना कुमारी पकड़ी गई थी। पूछताछ में उसने 3 दिसंबर को लखीसराय स्टेशन से पिपरिया थाना क्षेत्र के ढाई वर्षीय बच्चा के चोरी होने की जानकारी दी। स्टेशन पर लगे सीसी कैमरे के फुटेज से बच्चा चोरी की आरोपी मुंगेर तारापुर की सारिका की पहचान हुई। कल्पना ने बताया कि बच्चा चोरी का मास्टर माइंड मुजफ्फरपुर के भिखनपुर स्थित मां भगवती हॉस्पिटल का संचालक विजय कुमार चौधरी है। पुलिस जब वहां पहुंची तो विजय कुमार चौधरी पकड़ा गया। सारिका भी मौके से पकड़ी गई। उसने कहा कि एएनएम की पढ़ाई करने आई थी, उसके बाद हॉस्पिटल संचालक से शादी कर ली। विजय कुमार चौधरी पहले से ही शादीशुदा था।

### लड़का होगा, पता चलते ही बरगलाने लगता था

रेल पुलिस गिरफ्त में आई कल्पना कुमारी ने बताया कि जो महिला गर्भपात कराने पहुंचती थी, विजय चौधरी पहले उसका अल्ट्रासाउंड करता था। यदि लड़का हुआ तो वह महिला को फुसलाना शुरू कर देता था। खास तौर से वैसी महिलाओं को निशाना बनाता था, जो आर्थिक रूप से कमजोर होती थी। कल्पना ने दावा किया कि वह लोग भी अपने गांव-क्षेत्र में ऐसी महिलाओं की खोज में रहती थीं, जो गर्भ के बच्चे को बोझ मान रही। महीने में एक-दो ऐसी महिलाएं-युवतियां मिल ही जाती थीं। विजय वैसी महिलाओं को अपने खर्च पर प्रसव तक इलाज कराता था। यदि किसी बच्चे का समय से पहले जन्म हो जाता था, तो उसके लिए अस्पताल में वार्मर की भी व्यवस्था थी। प्रसव के बाद महिला को मोटी रकम देता था। फिर नवजात को बेच देता था। जिनकी संतान नहीं होती थी, वैसे लोग नर्सिंग होम से संपर्क रखते थे। जैसे ही नया बच्चा मिला उसे फौरन बता देती थी। महिलाओं ने स्वीकार किया है कि लड़की की कीमत ज्यादा नहीं मिलती थी। इस कारण लड़के को ही टारेगट किया जाता था।

### बड़े-बड़े लोगों से संपर्क, नेपाल से दिल्ली तक नेटवर्क

अस्पताल में जन्म लेने वाले नवजात और चोरी कर लाए गए बच्चों की देखभाल के लिए विजय ने अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ भी रखा था। वहां शिशु गहन जांच चिकित्सक केंद्र (एसएनसीयू) भी है। बिहार के अलावा उसके संपर्क दिल्ली और नेपाल तक में हैं। गिरोह से कई महिलाएं, लड़कियां और पुरुष जुड़े हैं।

# बिजनौर कोर्ट में हुई हत्या को लेकर हाई कोर्ट सख्त, शीर्ष अधिकारी तलब

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

उप्र स्थित बिजनौर के सीजेएम कोर्ट में फायरिंग कर हत्यारोपित की हत्या के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट गंभीर है। घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह व डीजीपी को 20 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने जिला जज की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए दिया। जिला जज की रिपोर्ट पर मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने विशेष खंडपीठ गठित की थी। कोर्ट ने कहा है कि मुजफ्फरनगर व आगरा के बाद प्रदेश में यह तीसरी घटना है, जब अपराधियों ने अदालत के अंदर घुसकर जेल से पेशी पर लाए गए आरोपित की हत्या की है। इस घटना से अदालतों की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

जिला अदालतों की सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने कई सुझाव दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि अदालतों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित स्पेशल फोर्स का गठन करें।

### अधिवक्ताओं का जारी हो परिचय पत्र

हाई कोर्ट ने जिला अदालतों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक जिले की अदालतों में एडवोकेट रोल का निर्माण किया जाय। सभी अधिवक्ताओं को परिचय पत्र जारी किया जाए। वादाकारियों को भी प्रवेश के लिए पास जारी किए जाएं। अधिवक्ता परिचय पत्र अपने साथ रखें और सुरक्षाकर्मी द्वारा मांगे जाने पर दिखाएं, क्योंकि यह व्यवस्था उनकी सुरक्षा के लिए है।